

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय OFFICE OF THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS FOR INDIA

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

पश्चिमी खंड 8, स्कंध 2, आर.के. पुरम, नई दिल्ली 66 West Block-8, Wing No.2, R.K.Puram, New Delhi-110066

सत्यापित दिनांक Verification Date : 4/5/2017

डी.सी.पी.(एल)सी.एम.एम./डी.एम/कलेक्टर/एस.डी.एम/डी.डी.एम

DCP (L)/CMM/DM/Collector/SDM/DDM

जिला District: VADODARA

राज्य State: गुजरात GUJARAT

विषय: समाचार पत्र शीर्षक Sub: Newspaper Title

TRAVEL NEXT

भाषा Language: गुजराती GUJARATI

आवधिकता Periodicity: पाक्षिक FORTNIGHTLY

के नाम अनुमोदित Approved in favour of Shri/Smt./Miss

VINAY KANUBHAI PATEL

से प्रकाशन हेतु Proposed to be published from

VADODARA

संदर्भ आपका पत्र/पृष्ठांकन सं Reference: Your Letter/Endorsement No . 1172 23/3/2017

महोदय Sir,

1. इस शीर्षक का सत्यापन प्रेस एंव पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 कि धारा 6 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया गया है। अतः आप अधिनियम कि धारा 5 के अनुसार प्रकाशक/मुद्रक के घोषणापत्र को अधिप्रमाणित कर के आगे की कार्रवाई के लिए इस कार्यालय को भेज सकते हैं। घोषणापत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर संदर्भ संख्या, प्राधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर, पूर्ण नाम एंव मोहर स्पष्ट होनी चाहिए। आर.एन.आई. की वेबसाइट से डाउनलोड पत्र को स्कैन किये गये हस्ताक्षर के साथ, घोषणापत्र दाखिल करने के लिए वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। घोषणापत्र का प्रपत्र(फार्म-1) आर.एन.आई. की वेबसाइट [www.mi.nic.in](http://www.mi.nic.in) पर उपलब्ध है।

This title has been verified in terms of the provision to Section 6 of the PRB ACT 1867. You may, therefore, authenticate the **declaration** of the publisher/printer, as per section 5 of the Act and forward the same to this office for further action. **Each page of the declaration should be authenticated clearly with reference number, signature, full name and seal of the authenticating authority.** This title verification letter with scanned signature, downloaded from RNI website may be accepted as a valid document for authenticating declaration. This performa(FORM-1) of declaration is available on RNI website [www.mi.nic.in](http://www.mi.nic.in)

घोषणापत्र को अधिप्रमाणित करते समय आप का ध्यान निम्न कि ओर आकर्षित किया जाता है:-

Your attention is invited to the following while authenticating the declaration:

(क) प्रकाशक एंव मुद्रक अलग-अलग व्यक्ति होने की स्थिति में उनके द्वारा अलग-अलग घोषणापत्र दाखिल करना जरूरी है।

Where the publisher and printer are not the same, separate declarations from printer and publisher shall be necessary.

(ख) यदि प्रिंटिंग प्रेस प्रकाशन स्थल से अलग किसी अन्य जिले में स्थित है तो उस जिले से भी अलग मुद्रक द्वारा घोषणापत्र दाखिल करना होगा। (प्रिंटर का अर्थ है वह व्यक्ति जिसका उल्लेख घोषणापत्र के कालम 7 में प्रिंटर के रूप में किया गया है न वह व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 4 के अनुसार कि प्रिंटिंग प्रेस का रक्षक है।)

If printing press is in a district other than the place of publication, separate declaration by printer is required from the district having printing press. (Printer here means person mentioned as printer in column 7 of declaration and does not mean keeper of the printing press under section 4 of the Act).

(ग) जहां प्रकाशक तथा/अथवा प्रिंटर स्वामी नहीं है ऐसी स्थिति में घोषणापत्र के साथ उस व्यक्ति को प्रकाशक तथा/अथवा प्रिंटर के रूप में घोषणापत्र दाखिल करने के लिए स्वामी दाखिल करने के लिए स्वामी द्वारा एक अनुमति पत्र दिया जाना अनिवार्य है [अधिनियम की धारा 5(2 बी)]।

Where the publisher and/or printer are not the owner, the declaration shall be accompanied by an authorization letter from the owner authorizing the person as publisher and/or printer to file declaration (section 5(2B) of Act).

(घ) सप्ताह में एक बार अथवा उससे कम आवधिकता वाले प्रकाशनों के मामलों के घोषणापत्र के अधिप्रमाणन के 6 सप्ताह के भीतर तथा अधिक आवधिकताओं वाले प्रकाशनों के मामलों में अधिप्रमाणन के 3 महीने के भीतर यदि प्रकाशन शुरू नहीं किया जाता है तो प्रकाशन के संबंध में किया गया घोषणापत्र अमान्य हो जायेगा। [अधिनियम की धारा 5(5)]

A declaration made in respect of the publication shall be void if the publication does not commence within 6 weeks from the date of authentication of declaration in case of publication to be published once a week or of lesser periodicity and within 3 months of authentication of declaration in case of publications with higher periodicities (section 5(5) of Act).

2. घोषणापत्र के अधिप्रमाण के बाद प्रकाशक को वर्ष 1 अंक 1 का प्रकाशन तथा घोषणापत्र में यथा उल्लिखित प्रेस से मुद्रण कराना होगा। प्रकाशन में मुख्य रूप से **समाचार/विचार/लेख** आदि होने चाहियें। प्रकाशन में निम्न बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए:

After authentication of declaration, the publisher should publish and print volume 1 issue 1 of the publication **printed in the press** mentioned in the declaration. The publication should **primarily contain news/views/article etc.** Following should be taken care of, in the publication:

(क) मॉस्टहेड में दर्शाया गया शीर्षक यथा अनुमोदित होना चाहिए तथा किसी विद्यमान शीर्षक के सदृश/नकल नहीं होना चाहिए। प्रकाशन के मॉस्टहेड में शीर्षक का प्रदर्शन एक समान फॉट/अक्षर आकार में 25 प्रतिशत से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। शीर्षक का प्रदर्शन उर्धवाधार अथवा क्षितिज रूप

में होना चाहिए।

The title displayed in the masthead should be as approved and should not resemble/imitate any existing title. The title shall be displayed in uniform font/letter size in masthead of the publication. The difference in font/letter size should not be more than 25%. The title shall be displayed either horizontally or vertically.

(ख) मॉस्टहेड तथा प्रत्येक पृष्ठ पर वर्ष तथा अंक संख्या, तारीख/महीना/वर्ष तथा प्रकाशन स्थल का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए।

The masthead and each page should also display clearly volume and issue no. date/month/year and publication city.

(ग) इंप्रिंट लाइन स्पष्ट रूप से इस प्रकार छपी होनी चाहिए "मुद्रक \_\_\_\_\_ तथा प्रकाशक \_\_\_\_\_ द्वारा (स्वामी का नाम) के पक्ष में \_\_\_\_\_ (मुद्रण स्थल) से मुद्रित तथा \_\_\_\_\_ (प्रकाशन स्थल) से प्रकाशित, संपादक \_\_\_\_\_"।

The **imprint lines** should be printed legibly as "printed by \_\_\_\_\_ and published by \_\_\_\_\_ on behalf of \_\_\_\_\_ (name of owner) \_\_\_\_\_ and printed at \_\_\_\_\_ (place of printing) and published at \_\_\_\_\_ (place of publication) \_\_\_\_\_ Editor \_\_\_\_\_"

(अंग्रेज़ी अथवा हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं के प्रकाशनों के मामले में शीर्षक, वर्ष/अंक संख्या, तारीख/महीना/वर्ष, प्रकाशन स्थल तथा इंप्रिंट लाइन को अंग्रेज़ी में भी संदर्भ हेतु (छोटे फॉन्ट आकार में हो सकता है) दर्शाया जाना चाहिए।)

(In case of publication in languages other than English or Hindi, the title, volume/issue no, date/month/year, publication city and imprint line **should also be displayed in English** for reference (it can be in small font size).

3. इसके उपरान्त आवश्यक दस्तावेज (पूर्ण एवं सही) आर.एन.आई में जमा कर पंजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त लेना होगा। पंजीयन के लिए आवेदन प्रापत्र, वांछित दस्तावेजों की सूची तथा कोई विदेशी गठबंधन नहीं शपथपत्र एवं मुद्रक अनुबंध प्रपत्र आर.एन.आई की वेबसाइट [www.rni.nic.in](http://www.rni.nic.in) से डाउनलोड किए जा सकते हैं। यह शीर्षक दो वर्षों के लिए वैध होगा तथा यदि इस अवधि के दौरान प्रकाशक इसका पंजीकरण नहीं करता है तो यह शीर्षक स्वतः ही डी-ब्लॉक हो जाएगा तथा यह शीर्षक फिर किसी भी आवेदक के लिए उपलब्ध होगा।

After that the publisher has to obtain registration certificate by submitting required documents (complete and correct) to RNI. The **application proforma** for registration, **list of required documents** and format of **No foreign Tie up affidavit** and **printer agreement** may be downloaded from RNI website [www.rni.nic.in](http://www.rni.nic.in)

This title is valid for two years and if publisher does not get it registered within this period, the title will be deblocked automatically and will be available to others.

4. पंजीयन से पहले सत्यापित शीर्षक अहस्तातरणीय है।

This verified title is not transferrable before registration.

Copy to (for information):

Yours faithfully,

**VINAY KANUBHAI PATEL 388**  
**ANAND NAGAR**  
**KARELIBAUG DISTRICT-**  
**VADODARA, STATE- GUJARAT**



**मनोज/Manoj**  
पंजीयन पर्यवेक्षक (शीर्षक  
अनुभाग)/Registration  
Supervisor (Title Section)

This letter is generated from the official website of RNI i.e. <https://rni.nic.in>. In case of doubt, District Authorities may contact APR on Phone No. 26175947 or through email: [apr@rni.nic.in](mailto:apr@rni.nic.in).